

—:: आज्ञा ::—

इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या प.7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.2006 व 22.06.2022 एवं इस विभाग के पत्र क्रमांक प.4(3)साप्र/5/2016 दिनांक 16.03.2016 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को बजाजनगर अपार्टमेंट स्थित राजकीय आवासों में से उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित/परिवर्तित किया जाता है:-

1. आवंटित आवास अस्थाई प्रकृति का आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा। एक सप्ताह में कब्जा ग्रहण नहीं करने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि की अग्रिम वसूली महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट हॉस्टल/बजाजनगर अपार्टमेंट, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो, तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावें।
5. संबंधित अधिकारी को मूल वेतन प्रमाण-पत्र महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. आवंटी को सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, उपलब्ध कराना होगा।
8. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्र.सं.	अधिकारी/कार्मिक का नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1	महेश कुमार सेवदा, नर्सिंग ऑफिसर, पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गणगौरी बाजार, जयपुर	4200/- L-11	45/202 2	31-12-2050	A-04, बजाजनगर अपार्टमेंट
2	पायल मीणा, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, राजकीय उपक्रम ब्यूरो, शासन सचिवालय, जयपुर	4200/- L-11	46/202 2	30-09-2054	D-II-46, बजाजनगर अपार्टमेंट
3	अन्जू बाला यादव, नर्सिंग ऑफिसर, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर	4200/- L-11	47/202 2	30-06-2051	D-II-48, बजाजनगर अपार्टमेंट
4	सुश्री कौशल्या मीणा, सहायक लेखाधिकारी - द्वितीय, राजकीय उपक्रम ब्यूरो, शासन सचिवालय, जयपुर	4200/- L-11	48/202 2	01-08-2045	E-II-58, बजाजनगर अपार्टमेंट
5	मंजू कुमारी गोदारा, नर्सिंग ऑफिसर, जे.के.लोन अस्पताल, जयपुर	4200/- L-11	49/202 2	31-12-2049	G-73, बजाजनगर अपार्टमेंट

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत), वृत्त-जयपुर।
5. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर- कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है तथा आवंटी से सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र, गत भुतगान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो, प्राप्त करें।
7. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जयपुर/वि0वि0निगम लि., गांधीनगर, जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें। निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जावेगा।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग- आवंटी को वरीयतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें।
12. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग-को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

